निग0 5292/2018/ सीधी/भू रा0

(100)

न्यायालय श्रीमान् मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

जोखन प्रसाद त्रिपाठी तनय श्री छोटेलाल त्रिपाठी निवासी ग्राम परसवार तहसील चुरहट जिला सीधी (म0प्र0) ---------आवेदक

बनाम्

सुशील कुमार चतुर्वेदी तनय ठाँकुरदीन चतुर्वेदी निवासी ग्राम परसवार तहसील चुरहट जिला सीधी (म0प्र0) ---------अनावेदक

अधि0 श्री अमिताभ चतुर्वेदी
दाखिल 29-8-18

निगरानी बिरुद्ध आज्ञा श्री राजस्व निरीक्षक मण्डल चुरहट जिला सीधी म0प्र0 बाबत् सीमांकन प्रकरण क्रमांक- 22अ12/2015-16 बाबत् भूमि खसरा क्रमांक- 214/0.03, 215/0.11 आदेश दिनांक 31/5/2016

अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता सन् 1959ई0।

मान्यवर,

अन्य के अतिरिक्त निगरानी के आधार निम्न है :-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेश व कार्यवाही विधि एवं प्रकिया के विपरीत है।

2- यह कि प्रकरण मे विद्यमान तथ्य व पूर्व की स्थिति व सीमांकन आवेदक के प वेदखली की कार्यवाही को छिपाकर वैधानिक

(100)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R 5292- सीधी/18. जिला– सीधी

जोरावन प्रसाद त्रिपाठी विरूद्ध सुशील कुमार चतुर्वेदी

(1)	(2)	(3)
18-12-18-	1. आवेदक की ओर से श्री अभिनव चतुर्वेदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~तहसीलदार~~/ ~~नायब तहसीलदार~~/ राजस्व निरीक्षक, तहसील चुरहट के प्रकरण क्रमांक 22/अ-12/15-16 में पारित आदेश दिनांक 31-5-16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 21-1-19 को कलेक्टर सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	